I/297247/2023

संख्या-41 /2023/1028/26-3-2023/CN-1701635

प्रेषक,

डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
समाज कल्याण,
उ0प्र0, लखनऊ

**समाज कल्याण अनुभाग-3** लखनऊः दिनांकः 31 मार्च **2023**

**विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-514-515/स0क0/विकास/सन्त कबीर नगर-एकीकृत(210-विविध)/2022-23, दिनांक-19-07-2022, पत्र संख्या-1246-47/स0क0/विकास/एकीकृत-गोरखपुर (210)/2021-22, दिनांक 16-02-2022, पत्र संख्या-929-30/स0क0/विकास/एकीकृत-सिद्धार्थनगर(01)/2022-23, दिनांक 15-09-2022, पत्र संख्या-2082-83/स0क0/विकास/एकीकृत-बलरामपुर(37)/2022-23, दिनांक 16-03-2023, पत्र संख्या-256-57/स0क0/विकास/एकीकृत/बस्ती-विविध(210)/2021-22, दिनांक 05-08-2022, पत्र संख्या-214647/स0क0/विकास/एकीकृत-लखीमपुर (77)/2022-23, दिनांक 24-03-2022, पत्र संख्या-666-67/स0क0/विकास/एकीकृत/ सन्तकबीरनगर (115)/2021-22, दिनांक 27-10-2021, पत्र संख्या-2179-81/स0क0/विकास/एकीकृत-गोरखपुर (49)/2022-23, दिनांक 27-03-2023, पत्र संख्या-216-17/स0क0/विकास/एकीकृत/लखीमपुर खीरी-77/2021-22, दिनांक 23-07-2021 एवं श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, मा0 सदस्य, विधान परिषद, उ0प्र0 के पत्र दिनांक-28-02-2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 में अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूह बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु संचालित एकीकृत विकास योजनान्तर्गत विभिन्

Search easily on www.bharatiyashashanadesh.org

न ग्रामों में विकास कार्य कराये जाने हेतु अनुदान संख्या-83 के लेखाशीर्ष-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछडे वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-01-अनुसूचित जातियों का कल्याण-789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना-10-अति पिछड़े अनुसूचित जाति समूहों के लिए एकीकृत विकास योजना-1003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण-24-बृहद निर्माण कार्य'' मद में **निम्नवत् तालिका** में अंकित विवरणानुसार धनराशि रू0-700.00 लाख की वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं:-

(धनराशि लाख में)

| क्र0 सं0 | जनपद /विकासखण्ड का नाम | ग्राम का नाम | कार्यदायी संस्था का नाम | कार्य का नाम | कुल लागत | प्रथम/द्वितीय/ तृतीय किश्त के रूप में स्वीकृत धनराशि | कुल स्वीकृत धनराशि | स्वीकृति हेतु निर्गत धनराशि |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | लखीमपुरखीरी/ पलिया | बेलाकला | यू0 पी0 आर0 एन0 एस0 एस0 | पिच रोड इण् टरलॉकिंग नाली निर्माण का कार्य | 459.02 | 50.00 शासनादेश संख्या-188/2019/70 वी0 आई0 पी0/26-3-2019 दिनांक-21-08-2019 | 125.00 | 40.00 |
| | | | | | | 75.00 शासनादेश 69/2022/001-1334/26-3-202 दिनांक-30-06-2022 | | |
| | | मुजहा | यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 | तदैव | 492.60 | 246.30 शासनादेश 106/2018/124 मंत्री/26-3-2018-124 मंत्री/2018 दिनांक-31-03-2018 | 261.30 | 40.00 |
| | | | | | | 15.00 शासनादेश संख्या-185/2019/2731/26-3-2019 दिनांक-22-07-2019 | | |
| | | मुनारखेडा कालोनी | यू0 पी0 पी0 सी0 एल0 | तदैव | 496.76 | 248.38 शासनादेश संख्या-106/2018/124 मंत्री/26-3-2018-124 मंत्री/2018 दिनांक-31-03-2018 | 263.38 | 40.00 |
| | | | | | | 15.00 शासनादेश संख्या-185/2019/2731/26- | | |

Search easily on www.bhartiyashanadesh.org

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3-2019<br>दिनांक-22-07-2019 | | |
| | | बसन्तपुर कला | यू० पी० पी० सी० एल० | तदैव | 477.28 | 238.64<br>शासनादेश संख्या-106/2018/124 मंत्री/26-3-2018-124 मंत्री/2018<br>दिनांक-31-03-2018<br>15.00<br>शासनादेश संख्या-185/2019/2731/26-3-2019<br>दिनांक-22-07-2019 | 253.64 | 50.00 |
| | | रानीनगर कालोनी | यू० पी० पी० सी० एल० | तदैव | 430.38 | 215.19<br>शासनादेश संख्या-106/2018/124 मंत्री/26-3-2018-124 मंत्री/2018<br>दिनांक-31-03-2018<br>15.00<br>शासनादेश संख्या-185/2019/2731/26-3-2019<br>दिनांक-22-07-2019 | 230.19 | 50.00 |
| 2 | गोरखपुर/ सहजनवां | भीमापार | यू० पी० सी० एल० डी० एफ० | तदैव | 392.05 | 9.74<br>शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019<br>दिनांक-08-03-2019<br>78.41<br>शासनादेश संख्या-139/2020/2839/26-3-2020<br>दिनांक-29-10-2020 | 88.15 | 50.00 |
| | गोरखपुर/ पाली | डोहरियाकला | यू० पी० सी० एल० डी० एफ० | तदैव | 467.87 | 9.74<br>शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019<br>दिनांक-08-03-2019<br>93.574<br>शासनादेश संख्या-139/2020/2839/26-3-2020<br>दिनांक-29-10-2020 | 103.314 | 50.00 |
| | गोरखपुर/ | बांसपार | यू० पी० पी० सी० एल० | तदैव | 331.21 | 9.74 | 9.74 | 50.00 |

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | पिपरौली | | | | | शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019 दिनांक-08-03-2019 | | |
| 3 | संतकबीरनगर/ बघौली | तिघरा | यू0 पी0 आर0 एन0 एस0 ए स0 | इण्टरलॉकिंग सामुदायिक केन्द्र पेयजल एवं के0 सी0 ड्रेन तथा सोलर लाइट | 149.38 | 5.00 शासनादेश संख्या-221/2018/510 सी0 एम0/26-3-2018-2894/2018 दिनांक-02.11.2018<br>31.37 शासनादेश संख्या-251/2019/5015/26-3-2019-510 सी0 एम0/2018 दिनांक-04.12.2019<br>23.804 शासनादेश संख्या-144/2020/3060/26-3-2020-510 सी0 एम0/2018 दिनांक-10.11.2020 | 59.974 | 50.00 |
| | | बंधवा | यू0 पी0 आर0 एन0 एस0 ए स0 | तदैव | 199.88 | 5.00 शासनादेश संख्या-221/2018/510 सी0 एम0/26-3-2018-2894/2018 दिनांक-02.11.2018<br>31.37 शासनादेश संख्या-251/2019/5015/26-3-2019-510 सी0 एम0/2018 दिनांक-04.12.2019<br>34.24 शासनादेश संख्या-144/2020/3060/26-3-2020-510 सी0 एम0/2018 दिनांक-10.11.2020 | 70.61 | 50.00 |
| | संतकबीरनगर/ हैसरबाजार | उसका खुर्द | यू0 पी0 सिडको | इण्टरलॉकिंग एवं नाली निर्माण | 66.82 | 9.74 शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26- | 9.74 | 40.00 |

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | 3-2019 दिनांक-08-03-2019 | | |
| | | कटरा सोयम | यू0 पी0 सिडको | तदैव | 98.34 | 9.74 शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019 दिनांक-08-03-2019 | 9.74 | 40.0 |
| 4 | बस्ती/ कुदरहा | दोफड़ा | यू0 पी0 सी0 एल 0 डी0 एफ 0 | तदैव | 133.47 | 9.74 शासनादेश संख्या-59/2019/1025/26-3-2019 दिनांक-08-03-2019<br>26.694 शासनादेश संख्या-139/2020/2839/26-3-2020 दिनांक-29-10-2020 | 36.434 | 50.00 |
| 5 | बलरामपुर/ रेहराबाजार | किशुनपुर सेंगर | यू0 पी0 सिडको | इण्टरलॉकिंग लेपन एवं नाली निर्माण कार्य | 122.672 | 61.34 शासनादेश संख्या-5/2018/142/26-3-2018-10 (01)/2017 दिनांक 12-01-2018 | 61.34 | 50.00 |
| 6 | सिद्धार्थनगर/ इटवा | बैरिया खालसा | यू0 पी0 सिडको | इण्टरलॉकिंग सडक एवं नाली निर्माण | 189.380 | 6.25 शासनादेश संख्या-218/2018/2664/26-3-2018/2664/2018 दिनांक-16-10-2018<br>37.876 शासनादेश संख्या-137/2020/2792/26-3-2020-2664/2018 दिनांक-29-10-2020 | 44.126 | 50.00 |
| | | | | योग- | | | | 700.00 |

(1) उपर्युक्त सारिणी में अंकित प्रवष्टियॉ निदेशालय द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के आधार पर की गयी हैं। अत: प्रदान की जा रही स्वीकृति के सापेक्ष आहरण एवं भुगतान के पूर्व निदेशालय द्वारा धनराशि, कार्यदायी संस्था एवं अन्य प्रवष्टियों के सम्बन्ध में पुष्टि कर ली जायेगी एवं यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उपर्युक्त तालिका में अंकित समस्त शासनादेशों के उपबंधों/शर्तों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया है।

(2) प्रायोजना में स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था , निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं

Search easily on www.bharivashanadesh.org

जनपदीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष टेण्डर लागत के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(3)-स्वीकृत धनराशि को आहरित करके पी0 एल 0 ए 0 अथवा बैंक/डाकघर में नहीं रखी जायेगी। उक्त स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग उन्ही कार्यो/मदों पर किया जायेगा जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इससे इतर व्यय/उपयोग वित्तीय अनियमितता होगी जिसके लिए संबंधित कार्यदायी संस्थाओं के प्रबन्धक उत्तरदायी होंगे।

(4)-स्वीकृत धनराशि से आनुपातिक रूप में निर्माण कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने के उपरान्त निदेशक, समाज कल्याण द्वारा भौतिक सत्यापन कराकर फोटोग्राफ्स की हस्ताक्षरित/प्रमाणित प्रति एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। प्रश्नगत निर्माण कार्य की गुणवत्ता एवं मात्राओं के संबंध में कार्यदायी संस्था के सक्षम अधिकारी उत्तरदायी होगें।

(5)-संबंधित जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा उक्त कार्य की पुनरावृत्ति/द्विरावृत्ति हेतु यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अंतर्गत न तो स्वीकृत हैं और न ही वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में प्रस्तावित है।

(6)-उक्त निर्माण/विकास कार्य स्वीकृत धनराशि के अनुपात में कार्य कराने के उपरान्त कार्यदायी संस्था के सक्षम प्राधिकारी द्वारा निदेशक, समाज कल्याण के माध्यम से उपभोग प्रमाण पत्र एवं कार्य की भौतिक प्रगति की सूचना नियमानुसार महालेखाकार, उ 0 प्र 0 इलाहाबाद एवं शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

(7)-आगणन में वर्णित लेबर शेष की कुल धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का भुगतान किया जायेगा।

(8)-कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय।

(9)-स्वीकृति केवल चालू योजनाओं पर ही दी जाय और किसी भी दशा में इस धनराशि का उपभोग नई मदों/सेवाओं पर व्यय के लिये न किया जाय।

(10)-उक्त धनराशि की स्वीकृति वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन निर्गत की जा रही है। कृपया उक्त शासनादेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

।

(11) परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुसार स्थानीय विकास

Search easily on www.bhartiyashashanadesh.org

प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथॉरिटी से स्वीकृत करा लिया जायेगा तथा नियमानुसार विभिन्न संस्थाओं से समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स एवं सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा एवं अन्य सम्बन्धित संस्थाओ /विभागों/प्राधिकरणों आदि से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(12) प्रश्नगत निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व विस्तृत आगणन तैयार कर सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त करने के साथ-साथ वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्थानुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर के तकनीकी स्वीकृति के पश्चात ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा उस पर सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात ही प्रायोजना के निर्माण हेतु अवशेष धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

(13) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-13/2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07-06-2022 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(14) प्रायोजना के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0 एस 0 टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0 एस 0 टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र –जी0 एस 0 टी0 इन्वायस एवं धनराशि के भुगतान का पूर्ण प्रमाणित विवरण सक्षम स्तर से निदेशक समाज कल्याण विभाग के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(15) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(16) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के संगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। कार्यालय ज्ञाप दिनांक 07-06-2022 एवं दिनांक 4-11-22 में दी गयी

Search easily on www.bhartiyashasanadesh.org

व्यवस्थानुसार प्रश्नगत निर्माण कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिये पुन: आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(17) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(18) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (**VII**) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(19) परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(20) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चि्रत किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(21) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

Search easily on www.bhartiyashahadesh.org

(22) प्रायोजना में स्वीकृत कार्यों/लागत से विचलन की दशा में वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-2 के शासनादेश सं0-बी-2-2528/दस-2014-10/77 दिनांक 26 अगस्त 2014 में अंकित प्राविधानों के अनुसार सक्षम स्तर का अनुमोदन प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(23) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(24)- प्रश्नगत कार्यों की निविदा में ई-टेन्डरिंग की प्रक्रिया लागू की जायेगी। ई-टेन्डरिंग प्रक्रिया में आई0 टी0 एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-2 के शासनादेश सं0 3/2017/1067/78-2-2017-42 आईटी/ 2017, दिनांक 12.05.2017 एवं समय-समय पर निर्गत शासन के अन्य आदेशों/निर्देशों में निहित शर्तों एवं प्राविधानों का अनुपालन पूर्णतया सुनिश्चित किया जायेगा।

(25) स्वीकृत की जा रही धनराशि कार्यदायी संस्था को कार्य की आवश्यकता एवं कराये गये कार्य की गुणवत्ता के अनुसार सम्यक् परीक्षण करने के पश्चात ही अवमुक्त की जाय तथा अवमुक्त की जा रही धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(26) कार्य की विशिष्टियॉ, मानक एवं गुणवत्ता आदि की पूर्ण जिम्मेदारी निदेशक, समाज कल्याण विभाग एवं कार्यदायी संस्था की होगी तथा उनके द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्य निर्धारित समय सीमा में पूर्ण हो जाय। इसके लिए परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017, दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय तथा प्रायोजना का पर्टचार्ट कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जाय।

(27) प्रस्तावित निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व भूमि की वैधानिक उपलब्धता सुनिश्चित करा ली जायेगी तथा नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापत्तियॉ एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त कर लिया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-7,00,00,000 (रूपये सात करोड़ मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 20222023 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखाशीर्षक 4225017891010003-सम्पर्क मार्ग का निर्माण के मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

Search easily on www.bhartiyashasnadesh.org

I/297247/2023

5- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-13/2022/बी-1-454/ दस-2022-231/2022, दिनांक-07 जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Signed by रमेश चन्द्र तिवारी
Date: 31-03-2023 21:42:00
Reason: Approved
उप सचिव

पृसं0- /2023/ 1028 (1)/26-3-2023 तददिनांकः

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी )प्रथम एवं द्वितीय उ 0 प्र 0, प्रयागराज।

2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा )प्रथम एंव द्वितीय, उ 0 प्र 0, प्रयागराज।

3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ 0 प्र 0 प्रयागराज।

4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

5- जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी-संतकबीरनगर, लखीमपुरखीरी, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर एवं बस्ती।

6- जिला समाज कल्याण अधिकारी-संतकबीरनगर, लखीमपुरखीरी, बलरामपुर, गोरखपुर, सिद्धार्थनगर एवं बस्ती ।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ 0 प्र 0 शासन।

8- वित्त नियंत्रक, निदेशालय, समाज कल्याण विभाग, उ 0 प्र 0 लखनऊ।

9- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 सिडको, लखनऊ।

10- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 सी0 एल 0 डी0 एफ 0 लखनऊ।

11- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 पी0 सी0 एल 0 लखनऊ।

12- प्रबंध निदेशक, यू0 पी0 आर 0 एन 0 एस 0 एस 0, लखनऊ।

13- निदेशक, एन 0 आई 0 सी0।

14- गार्डफाइल

(डॉ0 रमेश चन्द्र तिवारी)
उप सचिव

Search easily on www.bhartiyashasnadesh.org